इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) से (ङ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, तांबा आदि के स्वामित्व की दरें

4186. श्री राघवजी :
श्री सुभाष आहूजा :
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, तांबा आदि के स्वामित्व की वर्तमान दरें क्या हैं और ये कब से प्रवर्तन में हैं,

(ख) क्या यह सच है कि खनिजों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के बावजूद स्वामित्व की दरों में वृद्धि नहीं की गई है,

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार उन पर स्वामित्व की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उनमें कब वृद्धि किये जाने की संभावना है, और

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में क्या मांग की है और क्या केन्द्र सरकार इस बात से सहमत है कि उक्त मांग उचित है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) (क) से (घ). प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दरें जैसा कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है, मध्य प्रदेश सहित सारे भारत में लागू हैं। रायल्टी की दरें और उनके प्रवर्तन की संबंधित तारीखों का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [ग्रन्थालय में रखा गया/ देखिये संख्या एलटी—1913/78]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अंतर्गत, किसी भी खनिज पर रायल्टी की दर में 4 साल में केवल एक बार वृद्धि की जा सकती है। केवल लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, तांबा अयस्क जैसे कुछ खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में 1975 में संशोधन किया गया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया है कि लौह अयस्क की रायल्टी दरों में इस प्रकार संशोधन किया जाये जो खनिजों और अन्य कारकों की मूल्य वृद्धि के अनुरूप हो।

भारत सरकार लौह अयस्क सहित इन खनिजों की रायल्टी दरों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार कर रही हैं जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव भी शामिल है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के सदस्य

4187. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों की संख्या एवं अर्हताएं क्या हैं,

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश सदस्यों को एलोपैथी का ज्ञान है और इस कारण परिषद् कभी कभार ही आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के बारे में सरकार का सुझाव देती है, और

(ग) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार परिषद् के सदस्यों के अर्हता सम्बन्धी नियमों का संशोधन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) लगता है कि "इण्डियन मेडिकल कौंसिल" से माननीय सदस्य महोदय का अभिप्राय "मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया (भारतीय चिकित्सा परिषद्)" से है जिसका